रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 518] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 14, 1987/आश्विन 22, 1909
No. 518] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTORER 14, 1987/ASHVINA 22, 1909

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थालय
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
14.12.87
GOVT OF INDIA
भारत सरकार

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1987

आदेश

का. आ. 913(अ)/18चक/18कक/आई डी आर ए/87 : —केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 613 (अ)/18चक/18कक/आई डी आर ए/76 तारीख 15 सितम्बर, 1976 द्वारा इंडस्ट्रियल रीकंस्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड कलकत्ता, को जो अब भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक

के रूप में ज्ञात है (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है), मैसर्स बंगाल पाटरीज लिमिटेड कलकत्ता के स्वामित्व वाले 45, टंगरा रोड, कलकत्ता और 3, पगलाडांगा रोड, कलकत्ता स्थित दोनों औद्योगिक उपक्रमों के (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) संपूर्ण प्रबन्ध को 15 सितम्बर, 1976 से पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश द्वारा उक्त आदेश की अवधि समय समय पर 31 अक्तूबर, 1987 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी;

और सर्वसाधारण के हित में केन्द्रीय सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि आवश्यक नहीं है कि उक्त आदेश उस तारीख से आगे प्रवृत्त रहना चाहिए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त आदेश, उक्त औद्योगिक उपक्रमों के संबंध में परिसमापन कार्यवाहियों के आरम्भ करने के लिए शासकीय समापक को निदेश करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख से ही प्रवृत्त नहीं रहेगा।

[फा. सं. 2(19)/75-सी यू एम]

ए. डी. गोतक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 14th October, 1987

ORDER

No. S.O. 918(E)|18FA|18AA|IDRA|87.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 613(E)|18FA|18AA|IDRA|76, dated the 15th September, 1976, the Central Government had authorised the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta, now known as the Industrial Reconstruction Bank of India (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the two industrial undertakings at 45, Tangra Road, Calcutta and at 3, Pagladanga Road, Calcutta owned by

Messrs Bengal Potteries Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertakings) for a period of five years from 15th September, 1976;

And, whereas, the duration of the said Order was extended from time to time by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) for a further period upto and inclusive of the 31st October, 1987;

And, whereas, it has been decided by the Central Government in the interest of the general public that it is not necessary that the said Order should remain in force beyond that date;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall cease to be in force on and from the date of the Order of the Calcutta High Court directing the Official Liquidator to resume winding-up proceedings in relation to the said industrial undertakings.

[F. No. 2(19)|75-CUS]

A. V. GOKAK, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987